राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2852/2015

देवबक्ष बलाई **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन डिवीजन द्वितीय, भीलवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.11.2015
आदेश की दिनांक : 05.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को मुंशी/कनिष्ठ सहायक के पद पर नियमित सेवा मानते हुए पदोन्नत किया जाए एवं प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें और उसकी पदोन्नति जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को प्रदान की गई है, उसी तिथि से अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी स्नातक योग्यताधारी है और वह मुंशी के पद पर वर्कचार्ज नियम के तहत पदोन्नति प्राप्त करने योग्य है। अपीलार्थी के पिता की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। उस समय वह बेलदार के पद पर नियमित कैडर में दिनांक 27.06.1976 को थे। उस समय अपीलार्थी नाबालिक था और दिनांक 05.06.1993 को नियुक्ति के लिए राजस्थान मृतक आश्रित नियम, 1975 के तहत

आवेदन दिया, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को आदेश दिनांक 28.06.1993 के द्वारा नियमित कैडर में बेलदार के पद पर वेतनमान 750–940 में नियुक्ति दी। जबकि अपीलार्थी कनिष्ठ सहायक के पद के लिए अनुरोध कर रहा था। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने उस पर विचार नहीं किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा तीन माह बाद आदेश दिनांक 02.09.1993 के द्वारा नियमित कैडर को निरस्त कर दैनिक वेतन 22 रूपये प्रतिदिन के आधार पर बेलदार के पद पर नियुक्त किया। परंतु अपीलार्थी का मामला विवादित होने के कारण उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 22.11.1994 के द्वारा सेवा से हटा दिया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने श्रम न्यायालय, जोधपुर में अपने मामले को प्रस्तुत किया और श्रम न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 23.04.2003 के द्वारा अपीलार्थी को सेवा में पुर्नस्थापित करने तथा उसकी सेवाएं निरंतर मानी जाने के आदेश दिए। उनका कथन है कि अपीलार्थी के समान प्रकरण श्री पारसमल कुमावत जो दैनिक वेतन के आधार पर दिनांक 16.08.1993 को नियुक्त हुए थे और उसे मुंशी के पद पर आदेश दिनांक 19.10.1995 के द्वारा पदोन्नत कर दिया गया। इसी तरह बालमुकुन्द उपाध्याय जो दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त हुआ था, उसे 10 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर आदेश दिनांक 23.03.2005 के द्वारा मुंशी के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। अपीलार्थी स्नातक योग्यता रखता है और प्रत्यर्थी विभाग वर्ष 1993 से उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं कर रहा है। आज भी वह बेलदार के पद पर कार्य कर रहा है और उससे कनिष्ठ कार्मिकों को मुंशी के पद पर पदोन्नति दे दी गई। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिए, परंतु विभाग द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी वर्ष 2004 में सेवा में पुर्नस्थापित किया गया और कनिष्ठ सहायक के पद का कार्य कर रहा है, परंतु उसे कनिष्ठ सहायक के पद का वेतन नहीं दिया जा रहा है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को जारी कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को मुंशी/कनिष्ठ सहायक के पद पर नियमित सेवा मानते हुए पदोन्नत किया जाए एवं प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें और उसकी पदोन्नति जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को प्रदान की गई है, उसी तिथि से अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के पिता श्री मूलचंद बलाई

प्रत्यर्थी विभाग में बेलदार के पद पर कार्यरत थे, जिनका स्वर्गवास सेवा में रहते हो जाने के कारण अपीलार्थी को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अंतर्गत दिनांक 05.06.1993 को नियुक्ति हेतु आदेश दिनांक 28.06.1993 के द्वारा बेलदार के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी गई। तत्समय अपीलार्थी की योग्यता सीनियर हायर सैकण्डरी थी। अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला 750–940 के स्थान पर 22 रूपये प्रतिदिन वेतन भुगतान के आदेश पारित किए गए। अपीलार्थी को अनुपस्थित होने से आदेश दिनांक 22.11.1994 के द्वारा सेवाएं समाप्त की गई, जिसको श्रम न्यायालय, जोधपुर में वाद दायर करने पर उक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2003 की पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 28.06.1995 को अर्द्धस्थायी एवं दिनांक 28.06.2003 से स्थायी घोषित किया गया। अपीलार्थी के सेवा में नहीं होने के दौरान इनसे कनिष्ठ कार्मिक श्री पारसमल कुमावत को मुंशी के पद पर पदोन्नति दे दी गई। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28.02.1994 के द्वारा कार्य प्रभारित कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नतियों पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण अपीलार्थी की पदोन्नति दिया जाना संभव नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए यह बहस की है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28.02.1994 के बाद भी पारसमल कुमावत को दिनांक 19.10.1995 को नारायण को दिनांक 16.10.1997 एवं विनोद कुमार को दिनांक 07.08.1997 को मुंशी के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसलिए यह कहना गलत है कि राज्य सरकार के उक्त आदेश के द्वारा पदोन्नति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। श्री बालमुकुंद उपाध्याय को जो 10वीं उत्तीर्ण योग्यताधारी है और दैनिक वेतन के आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति हुई थी, उसे बाद में आदेश दिनांक 08.08.2002 के द्वारा मुंशी ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया और आदेश दिनांक 08.08.2002 के द्वारा मुंशी ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नत किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त पद पर पदोन्नति पाने का अधिकारी है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति राजस्थान मृतक आश्रित कर्मचारी के रूप में बेलदार

के पद पर हुई थी और आदेश दिनांक 02.09.1993 के द्वारा उक्त नियुक्ति को निरस्त करते हुए दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्ति दी गई। अपीलार्थी के पिता नियमित कैडर में बेलदार के पद पर कार्यरत थे और उनका निधन दिनांक 27.06.1976 परंतु अपीलार्थी नाबालिक होने के कारण उसे आदेश दिनांक 28.06.1993 के द्वारा नियमित कैडर में बेलदार के पद पर वेतनमान 750–940 में नियुक्ति दी गई। अपीलार्थी स्नातक योग्यताधारी होने पर उसने कनिष्ठ सहायक के पद के लिए अनुरोध किया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने उस पर विचार नहीं किया और प्रत्यर्थी विभाग ने नियुक्ति के 3 माह बाद आदेश दिनांक 02.09.1993 के द्वारा नियमित कैडर को निरस्त कर अपीलार्थी को दैनिक वेतन 22 रूपये प्रतिदिन के आधार पर बेलदार के पद पर नियुक्त कर दिया। मामला विवादित होने के कारण उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 22.11.1994 के द्वारा सेवा से हटा दिया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने श्रम न्यायालय, जोधपुर में अपने मामले को प्रस्तुत किया और श्रम न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 23.04.2003 के द्वारा अपीलार्थी को सेवा में पुर्नस्थापित करने एवं उसकी सेवाएं निरंतर मानते हुए सभी लाभ देने के आदेश दिए गए। जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक श्री पारसमल कुमावत को मुंशी के पद पर पदोन्नत किए जाने और अपीलार्थी को मुंशी के पद पर पदोन्नत नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी के सेवा में नहीं होने के दौरान उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नत किया गया है। श्रम न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2003 की पालना में अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक 28.06.1993 से निरंतर सेवा में माना गया है और 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर विभाग द्वारा उसे दिनांक 28.06.1995 को अर्द्धस्थायी तथा 28.06.2003 से उसे स्थायी घोषित किया गया है। इस प्रकार हमारे मत में यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी के सेवा में नहीं होने के दौरान उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नत प्रदान की गई। चूंकि अपीलार्थी की सेवाओं को उक्त आदेश की पालना में निरंतर माना गया है अतः अपीलार्थी भी कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति की दिनांक से मुंशी के पद पर पदोन्नति पाने का हकदार है। प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से भी हम सहमत नहीं हैं कि आदेश दिनांक 28.02.1994 के द्वारा कार्य प्रभारित कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नतियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण अपीलार्थी को वर्तमान में पदोन्नति नहीं दी जा सकती, इस मत में हम यह उल्लेखित करना चाहेंगे कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.09.2021 के द्वारा श्री बालमुकुंद उपाध्याय कार्य प्रभारी स्टोर

मुंशी को स्टोर सुपरवाइजर के पद पर एवं श्री साधू राम कार्य प्रभारी सुपरवाइजर को कनिष्ठ अभियंता के पद पर आदेश दिनांक 16.02.2017 के द्वारा पदोन्नत किया गया है, जो प्रतिबंध के आदेश दिनांक 28.02.1994 के बाद की गई पदोन्नति है। अतः प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क में कोई बल प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि जिस तिथि से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को मुंशी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी मुंशी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ भी दिए जावें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य